फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :– नौरतीदेवी पत्नी बुधाराम **बनाम** गैर सायलान :–भागीरथ पुत्र बद्रीलाल वगैरह

केस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. /सन 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2018	वकील सायला उपस्थित। वकील सायला ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायला की खरीदसुदा खातेदारी, शामलाती एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा तहसील जैतारण मे ख.नं. 2202 रकबा 07–08 बीघा, ख.नं. 2203 रकबा 05–08 बीघा, ख.नं. 2205 रकबा 17–17 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी में सायला का 1/2 एवं 1/8 वां हिस्सा हैं तथा अविभाजित हैं। अतः उक्त विवादित कृषि भूमि का जब तक कानूनी बंटवाड़ा नही हो जावें, उक्त कृषि भूमि का हस्तान्तरण, बेचान, बक्सीस, रहन आदि नही करें व सायला के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने हेतु गै. सा. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा तहसील जैतारण मे ख.नं. 2202 रकबा 07–08 बीघा, ख.नं. 2203 रकबा 05–08 बीघा, ख.नं. 2205 रकबा 17–17 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी में सायला का 1/2 एवं 1/8 वां हिस्सा हैं। अतः उक्त विवादित आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र रास दिनांक 13.06.2018 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	472 24/5/18
3/6/18	वकील सायल उपस्थित। गै.सा. को बार-बार आवाजें दिलाई गई। गै.सा. बावजूद नोटिसेज पुख्ता तामील के अनु. रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.प. आयन्दा दिनांक 29/6/18 को पेश हो। SDO	
29/6/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कार्यालय रास में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील सायला की बहस आयन्दा सुनी गई।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
	बहस निस्तारण की गई। वकील सायल ने बहस में कथन किया कि अ.स.नं. 01/2006 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। दावा बेदखली मामला विचाराधीन है। मूल वाद के निर्णय तक सायल के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30/5/18 को पुष्टि किये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक का अवलोकन किया गया। वास्तव में अ.स. के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। बहस वकील सायल पर मनन किया गया। लिहाजा सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 30/5/18 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को पुष्टि किया जाता है। पत्रावली कौसिल शुमार होकर नम्बर से रद्द हो। बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। अवार्ड जारी हो। ह0	